संख्या-15/2016/1020/33-3-2016-100(1)/2016

प्रेषक ,

एस0पी0सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में बुन्देलखण्ड क्षेत्र जनपद-महोबा,हमीरपुर,बांदा,चित्रकूट,झांसी,ललितपुर तथा जालौन में पेयजल की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या- 5/1251/2015-5/197/2015, दिनांक 11 अप्रैल , 2016 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/ दस- 2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 225 लाख की धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि रू0 225 लाख की धनराशि (दो करोड पचीस लाख मात्र) को संलग्न् जनपद वार फाण्ट के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/ दस- 2016- 231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि आहरित कर संबंधित जनपदों के जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएंगी। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबंधों /नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराई जाए।

(5) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत उक्त धनराशि लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई- 01-जलापूर्ति-102 - ग्रामीण् जलपूर्ति कार्यक्रम- 03-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में टैंकर द्वारा पेयजल की आपूर्ति-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/ दस-2016- 231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें उ0प्र0।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 लखनउ।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

बुन्देलखण्ड के जनपदों में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद में 06 टैंकर एवं 02 ट्रैक्टर खरीदने हेतु जिला पंचायतों को धनराशि का

आवंटन

(धनराशि हजार में)

क्र0सं0	जनपद	प्रस्तावित धनराशि
1	चित्रकूट	3214
2	महोबा	3214
3	हमीरपुर	3214
4	बांदा	3214
5	झांसी	3214
6	ललितपुर	3215
7	जालौन	3215
योग		22500

(दो करोड पच्चीस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in